



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांक: एफ.3(499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 5111 - 5117

दिनांक: 9/3/22

बिड संख्या: संस्थापन/01/2022-23

ई-बोली सूचना (दर संविदा)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर पर 60 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन), 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 15 वाहन चालक की संविदा पर (जॉब बेसिस) सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/टेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन ई-बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि रूपये में (बोली मूल्य) (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (रूपये में) (लाखों में)	संविदा अवधि	बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	बिड खोलने की दिनांक व समय
1	60 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन)	142.00	2.84	2 वर्ष	09/03/2022	28/3/2022 सायं 01:00 बजे	28/3/2022 सायं 02:00 बजे
2	45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	84.00	1.68	2 वर्ष			
3	15 वाहन चालक	50.00	1.00	2 वर्ष			
कुल:		276.00					

इच्छुक बोलीदाता बिड प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 27/03/2022 दोपहर 06:00 बजे तक वेबसाईट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। शेष शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट <https://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। बिड प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के तथा RISL फीस का डी.डी. प्रबंध निदेशक, राजयकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के नाम से देय होगा। जो बोलीदाता केवल एक या

V



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

दो श्रेणी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उस श्रेणी के अनुसार ही बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना बोली प्रतिभूति के बिड स्वीकार नहीं होगी।

UoBNo:—

(राजीव महनोट)
शाखा प्रभारी—संस्थापना

क्रमांक: एफ.III (499)/ रा.प्र.नि.मं./स्था./ 5111-5117
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

दिनांक: 9/3/22

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. अति. निजी सचिव, मुख्य पर्यावरण अभियंता, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. शाखा प्रभारी (प्रशासन), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (आई.टी. शाखा) को भेजकर लेख है कि उक्त बोली को e-Proc पोर्टल, विभागीय वेबसाईट तथा उपरोक्तानुसार sPPP वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

शाखा प्रभारी—संस्थापना



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rspcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बिड संख्या: संस्थापन/01/2022-23

कार्यालय: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

मशीन विद् मैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की सेवाएं (जॉब बेसिस पर)

बेली विवरण	बोली राशि	फार्म राशि रूपये में	विवरण
60 मशीन विद् मैन (पॉवर)	142.00 लाख	1000 / -	ई-बोली द्वारा
45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	84.00 लाख		
15 वाहन चालक	50.00 लाख		

Date of Publication of Bid Document	09/03/2022
Pre Bid Meeting	11/03/2022 at 11:30 AM
Bid uploading start date	15/03/2022 at 12:00 PM
Last date of physical submission of documents viz Bid document fees, RISL processing fees and Bid security	28/03/2022 till 12:00 PM
Last Date & Time of uploading of Bid Document	28/03/2022 till 01:00 PM
Date & Time of Opening of Technical Bids	28/03/2022 at 02:00 PM

(राजीव म्हनोट)
शाखा प्रभारी-संस्थापना



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोली आमन्त्रण के प्रपत्रों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
1.	बोली आमन्त्रण सूचना विवरण	5-6
2.	बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र	7
3.	बोली हेतु दिशा-निर्देश	8
4.	सामान्य शर्तें	9-11
5.	विशिष्ट शर्तें	12-15
6.	तकनीकी बोली प्रपत्र	16-17
7.	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04-02-2013 के एनेक्जर ए.बी. सी.डी. व ई.	18-29
8.	निर्धारित प्रपत्र	30-32



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोली आमन्त्रण सूचना विवरण (बिड संख्या: संस्थापन/01/2022-23)

1.	उपापन प्राधिकारी का नाम एवं पता	प्रभारी अधिकारी (संस्थापना शाखा), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (रा.प्र.नि.मं.), पता: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 (राजस्थान)
2.	विषय-वस्तु/कार्य का नाम	मैन पावर {60 उच्च कुशल-मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर), 15 वाहन चालक एवं 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी} पूर्णतः ठेका पद्धति पर (जॉब बेसिस पर) उपलब्ध करवाने हेतु दर संविदा
3.	बोली प्रक्रिया	मदवार एकल स्तर दो कवर बिडिंग:-दो भाग (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगिता में ई-बिड प्रक्रिया
4.	बोली मूल्यांकन मापदंड (चुनाव प्रणाली)	कम से कम कीमत आधारित चयन (LCBS)
5.	बोली दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट इत्यादि डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट	https://sppp.rajasthan.gov.in/ https://eproc.rajasthan.gov.in/ https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb
6.	बोली की अनुमानित राशि	<ul style="list-style-type: none">• 60 उच्च कुशल-मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर): रुपये 01,42,00,000 / -• 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: रुपये 84,00,000 / -• 15 वाहन चालक: रुपये 50,00,000 / -
7.	बोली प्रतिभूति राशि एवं भुगतान का प्रकार	बोली प्रतिभूति राशि: <ul style="list-style-type: none">• 60 उच्च कुशल-मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर) : रुपये 02,84,000 / -• 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रुपये : 01,68,000 / -• 15 वाहन चालक: रुपये 01,00,000 / - भुगतान का प्रकार:-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाइन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम देय
8.	बोली शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	रुपये 1000 / - सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम डी.डी. / बैंकर्स चैक / ऑनलाइन द्वारा



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

9.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	रूपये 1000/- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम डी.डी. / बैंकर्स चैक / ऑनलाइन द्वारा
10	बोली दस्तावेज के बिक्री की अवधि (आरम्भ/समाप्ति दिनांक)	आरम्भ तिथि: 09/03/2022 अन्तिम तिथि: 24/03/2022 सायं 06:00 तक
11	बोली पूर्व स्पष्टीकरण हेतु बैठक (प्री बिड बैठक) की दिनांक एवं समय	प्री बिड बैठक दिनांक एवं समय-11/03/2022 प्रातः 11:30 स्थान: कार्यालय मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर स्पष्टीकरण के लिए उपापन संस्था की प्रतिक्रिया: 15/03/2022
12	बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने की आरम्भ/एवं अंतिम दिनांक एवं समय	आरम्भ तिथि-15/03/2022 (12:00 PM) अन्तिम तिथि-28/03/2022 (01:00 PM)
13	बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने का तरीका	ऑनलाईन, E-Proc वेबसाईट पता:- https://eproc.rajasthan.gov.in
14	बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय (डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक / ऑनलाईन)	दिनांक-28/03/2022 समय दोपहर 12:00 बजे तक
15	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक/समय /स्थान	दिनांक-28/03/2022 समय-दोपहर 02:00 बजे स्थान:- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
16	बोली वैधता	90 दिन
17	कार्य अवधि	02 वर्ष

इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति ऑनलाईन भी निम्न खाते में जमा करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति में ऑनलाईन जमा का चालान/साक्ष्य ऑनलाईन बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त बिन्दु संख्या 14 के अनुसार नियत समय से पूर्व भिजवाया जाना आवश्यक है।

Account details

Name of Organisation: Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board

Particulars of BANK ACCOUNT:

- Bank Name: Bank of Baroda
- Branch Name/Branch code: IDS Extension Counter, Jaipur/EXTNEH
- Account Number: 98150100000521
- IFSC Code : BARB0EXTNEH (5th Character is Zero)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

1. बोलीदाता का नाम
2. बोलीदाता का पता
.....
.....
3. बोलीदाता का फोन नं./मोबाइल नं. :-
4. वाट्सअप नम्बर :-
5. ई-मेल आई.डी. :-
- रु.....
6. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये हैं, इनका पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ तथा पालन करूँगा।
7. बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को होगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय सील



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाता को तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ PF, ESI, GST, PAN एवं श्रम विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप Shop & Commercial Establishment Act में पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में वित्तीय बिड की दरें अंकित ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. बोली पूर्व स्पष्टीकरण (Pre Bid Conference) हेतु बैठक दिनांक 11/03/2022 प्रातः 11:30 बजे **मुख्य पर्यावरण अभियंता** के कक्ष में आयोजित की जायेगी। यदि बोलीदाता को बोली के सम्बन्ध में कोई प्रश्न हो तो वह बोली स्पष्टीकरण प्रपत्र में अपने प्रश्न <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर ई-मेल Subject में "मशीन विद् मैन पावर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन चालक बोली स्पष्ट" लिखे। प्रश्नों के साथ बोली प्रपत्र शुल्क की डीडी की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे। बोलीदाता की पहचान उजागर किये बिना समस्त प्रश्नों के उत्तर Pre Bid Conference में दिये जायेंगे।
3. बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/संलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर (डिजिटल साईन) करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो बोली प्रपत्रों, शर्तों, डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करेगा उसी के द्वारा अनुबंध तथा समय-समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर नं. अंकित करना होगा।
4. बोली की तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज Online Pdf File बनाकर Upload करने होंगे।
5. सफल तकनीकी संवेदक की बोली की वित्तीय बिड Online BOQ में Excel File में डालनी होगी। तकनीकी में सफल संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
6. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <https://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> से भी डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
7. बोली में भाग लेने वाली बोलीदाताओं को <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन-लाईन बोली में भाग लेने के लिए Class 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।
8. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों में जमा करवाने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गई है। बोली के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन-लाईन दर्ज करें।
10. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण ये विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
11. ऑन लाईन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष डाउनलोड की जावेगी।
12. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना eproc वेबसाइट, sPPP वेबसाइट एवं मण्डल की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाकर दी जावेगी। बोली की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
13. बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ ऑनलाईन दिनांक 25/03/2022 को दोपहर 12:00 बजे बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में आवश्यक रूप से डाले। लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मैन पावर बोली देय शुल्क" लिखें एवं नीचे सम्बंधित फर्म का नाम लिखें।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

सामान्य शर्तें

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारी, कर्मचारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल संविदा कर्मी उनके रिश्तेदार या कोई तृतीय पक्ष जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनसे संबंध रखते हैं, इस बोली में भाग लेने के लिये अपात्र हैं। ऐसी फर्म द्वारा भाग लेने पर उस फर्म व संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. बोली की शर्तों व RTPP अधिनियम/नियमों में भिन्नता होने पर RTPP अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।
3. ई-मेल आई-डी अनिवार्य है तथा ई-मेल आई-डी एवं वाट्सअप नम्बर पर भेजा गया पत्र/आदेश को पावती माना जावेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति पत्र जारी होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार-पत्र निष्पादन करना होगा तथा करार-पत्र के साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 2.5% जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन द्वारा जमा करानी होगी। करार-पत्र एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में करार-पत्र निष्पादन नहीं करने व प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बोली प्रतिभूति 2 % होगी।
6. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निर्धारित दिनांक व समय पर ऑन-लाईन अपलोड की गई बोलियों को यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोला जायेगा। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी बोलियों का परीक्षण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 एवं इस बोली में वर्णित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।
8. तकनीकी बोली प्रपत्र की सूचनायें मूल्यांकन की अनिवार्य शर्तें हैं, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जायेगा।
9. वित्त विभाग के परिपत्र 3/2013 दिनांक 04.12.2013 के अनुसार संलग्न:
Annexure A : Compliance with the code of integrity and no Conflict of Interest
Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications
Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
Annexure D : Additional Condition of Contract.
बोली प्रपत्र का हिस्सा होंगे इन सभी पर हस्ताक्षर करने होंगे। Annexure-C में अपील का प्रारूप है।
10. बिलों में नियमानुसार GST देय होगा तथा नियमानुसार बिल से टीडीएस प्रावधानों के अनुसार कटौती की जायेगी।
11. फर्म को गत माह तक देय GST, EPF, ESI चुकाने का प्रमाण आगामी बिल के साथ देना अनिवार्य होगा।
12. सभी दर GST रहित प्रस्तुत की जायेगी। कर की दर पृथक से अंकित की जायेगी। कर की दर में बदलाव तुरन्त प्रभाव से लागू होगा व बिल पर देय होगा। अन्य कोई प्रभार पृथक से देय नहीं होगा।
13. भुगतान ऑन-लाईन पद्धति से सम्बंधित फर्म के बैंक खाते में किया जायेगा।
14. बोली खुलने के बाद 90 दिन तक वैध होगी।
15. बिना कारण बताये बोली स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर पूर्ण रूप से अधिकृत होंगे।
16. तकनीकी बोली प्रपत्र की सूचनायें मूल्यांकन की अनिवार्य शर्तें हैं, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा, तकनीकी बिड में चयनित बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

17. प्रथम चरण में कार्यादेश एक वर्ष हेतु जारी किया जायेगा जिसे सेवा संतोषजनक होने पर दर अनुबन्ध की शेष अवधि हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
18. समय समय पर जारी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल eproc वेबसाइट, sppp वेबसाइट एवं मण्डल की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जायेंगे। सभी बोलीदाता संबंधित जानकारी उपरोक्त वेबसाइट्स से प्राप्त कर सकते हैं।
19. बिड प्रपत्र का मूल्य 1000/-रु. निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बिड दाता के द्वारा बिड प्रपत्र फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ ऑनलाईन सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम बिड को संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में बिड निरस्त कर दी जायेगी।
20. RISL फीस 1000/- प्रत्येक बिड दाता के द्वारा Managing Director, RISL जयपुर के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. प्रतिभूति राशि पर सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. समस्त विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
23. सफल बोलीदाता द्वारा करार के पश्चात् बोली की किसी भी शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सफल बोलीदाता के विरुद्ध रुपये 1000/- पेनल्टी लगायी जा सकेगी। यह पेनल्टी विशिष्ट शर्तों में वर्णित अन्य पेनल्टी से अतिरिक्त होगी।
24. बातचीत (Negotiation) :-जहां तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जायेगी, किन्तु जब प्रस्तुत दर एवं श्रम विभाग की निर्धारित दरों में भारी अन्तर होने पर न्यूनतम व अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
25. बोलीदाता फर्म/संस्था होने की स्थिति में सभी भागीदारों द्वारा तथा प्रबंधियों के नाम पते देने होंगे तथा फर्म की भागीदारी डीड/संस्था के संविधान व उद्देश्यों की स्वाहस्ताक्षरित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
26. अपील फाईल करने के लिए फीस -
 1. प्रथम अपील के लिए फीस रुपये 2500/- दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए रुपये 10,000/- दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 2. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा, जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
27. अपील का प्रारूप:-
 1. धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने की अपील में प्रत्यर्थी है।
 2. प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथपत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेंगी।
28. अपील फाईल करने के लिए फीस -
 3. प्रथम अपील के लिए फीस रुपये 2500/- दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए रुपये 10,000/- दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 4. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा, जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
29. अपील के निपटारे की प्रक्रिया :-
 1. विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी-सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी-अध्यक्ष, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर होंगे।
 2. प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो कि प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 3. सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
4. पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
 5. उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा। उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
30. अनुबंधों की शर्तों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में **अध्यक्ष**, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

श्रमिक सेवा निष्पादन की विशिष्ट शर्तें

1. बोलीदाता के पास, सेवाकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या (पेन) होना आवश्यक है।
2. संवेदक द्वारा माह के बिल मय उपस्थिति माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसका सत्यापन कार्यादेश से कराना होगा। भुगतान ऑन-लाईन NEFT पद्धति से किया जायेगा। EPF,ESI,GST जमा कराने का चालान आगामी माह में बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें सभी सेवा निष्पादक के नाम स्पष्ट रूप से अंकित होंगे।
3. संवेदक द्वारा सेवा निष्पादक को मासिक भुगतान बैंक खाते में ऑनलाईन ही किया जायेगा व भुगतान का प्रमाण मय बैंक स्टेटमेंट आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें समस्त सेवा निष्पादक के नाम मय बैंक खाता संख्या अंकित होनी चाहिये। संवेदक द्वारा अपने लेटर हैंड पर यह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा की उसके द्वारा पिछले माह का भुगतान (मय EPF,ESI) समस्त श्रमिकों को बिना किसी कटौती के कर दिया गया है।
4. बोलीदाता सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत ना करें। न्यूनतम सेवा शुल्क की दर एक रूपये होगी। दरें पूर्ण रूपये में ही स्वीकार होगी उदारहण रु. 1,2,3,4,5,100,200 प्रति सेवा निष्पादक। सर्विस चार्ज 01 रूपये से कम प्रस्तुत करने पर बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। दशमलव के बाद अंक 00 होगा। पैसे में राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
5. कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान में यदि देरी भी होती है तो भी संवेदक को सेवा निष्पादक को 7 तारीख तक भुगतान आवश्यक रूप से ही करना होगा। 7 तारीख के पश्चात् देरी होने पर प्रति दिवस 1000/-प्रति कार्मिक पेनल्टी लगेगी। उक्त पेनल्टी की कटौती आगामी माह के बिल से की जाएगी। कार्यालय से सेवाप्रदाता को भुगतान में देरी के समस्त प्रकरण लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसे कार्यालय द्वारा 10 दिवस में निस्तारण किये जायेंगे।
6. तीन से अधिक बार भुगतान में देरी के प्रकरण में अन्य फर्म को कार्य आदेश दिया जा सकेगा व फर्म की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. सफल बोलीदाता के निर्धारण का मापदण्ड वित्तीय बोली की तालिका में कॉलम संख्या 9 में अंकित प्रति इकाई राशि होगी। जिस बोलीदाता की कॉलम संख्या 09 में अंकित कुल राशि प्रति इकाई सबसे कम होगी उसे ही सफल माना जायेगा।
8. एक से अधिक बोलीदाता की दरें यदि न्यूनतम व समान है तो सर्वप्रथम स्थानीय (जयपुर स्थित) फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो स्थानीय फर्म की दरें समान है तो गत तीन वर्षों के औसत Turnover में अधिक राशि वाली फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा व सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।
9. कौशल विकास योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व भारत सरकार की अन्य योजनाओं में सेवा निष्पादक को कार्यालय द्वारा आदेशित करने पर जोड़ा जायेगा।
10. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सेवा निष्पादक सामान्यतः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय समय के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे किन्तु आवश्यकता पडने पर अवकाश के दिन भी कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. श्रम विभाग द्वारा पूर्व में प्रभावित दिनांक से यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा। जिसका पुनर्भरण 10 दिवस में कार्यालय से होगा।
13. सेवाप्रदाता किसी कार्मिक को लगाने, हटाने से पूर्व इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें।
14. समस्त सेवा निष्पादक को प्रत्येक माह के पारिश्रमिक भुगतान की स्लिप देनी होगी जिसमें श्रमिक की श्रेणी व किये गये दिवसों व श्रमिक के बैंक खातों का उल्लेख होगा।
15. सनदी लेखाकार द्वारा दिये गये टर्नओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।
16. बिलों में नियमानुसार GST देय होगा तथा TDS की कटौती की जायेगी।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

17. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मैन पावर अस्थायी होगी तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा लगाये कार्मियों की सेवाये स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। सेवाओं को किसी भी नियमित नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में कोई अधिकारी नहीं होंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं कार्यरत कार्मिकों के मध्य किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरों नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा। अनुबंध से पूर्व बोलीदाता द्वारा सेवाओं को उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुये) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उन व्यक्तियों की ही सेवाये अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
18. संवेदक को मशीन विद् मैन पावर, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने होंगे। अतिरिक्त मांग की स्थिति में 3 दिवस में कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे एवं इनकी संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
19. संवेदक संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वः हस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाएगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाएगा। शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।
20. सफल बोलीदाता द्वारा सेवा निष्पादक को बोली का अनुबंध के प्रति उपलब्ध करवायी जायेगी। निर्धारित सेवा शुल्क के अलावा सेवा प्रदाता को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। अतः बोलीदाता सेवा शुल्क समस्त खर्च (सुपरवाईजर, पारिश्रमिक, बिमा का खर्च सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों को दिनांक 7 से पूर्व किये गये मासिक भुगतान जिसका पुनर्भरण कार्यालय से शेष हो) के अनुसार व्यवहारिक सेवा शुल्क की दरें प्रस्तुत करें।
21. किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ती की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग का होगा।
22. सफल सेवाप्रदाता को नियोजित पुराने ठेका सेवा निष्पादक जो वर्तमान में अनुबंध के तहत भी कार्य कर रहे हों, इनके EPF की राशि नवीन खाते में दो माह में स्थानान्तरित की जायेगी।
23. सेवाप्रदाता सेवा निष्पादक से कोई नकद कमीशन नहीं लेगा, ना ही सेवा निष्पादक को सेवा समाप्ति के संबंध में परेशान करेगा। सेवा निष्पादक को लगाने व हटाने से पूर्व कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उक्त के संबंध में प्रमाणित शिकायत प्राप्त होने पर श्रम विभाग को सूचित कर उपापन संस्था द्वारा RTPP नियमानुसार DEBAR व कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
24. सेवाप्रदाता सेवा निष्पादक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ेगा। इसके प्रीमियम का भुगतान सेवाप्रदाता को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।
25. बोलीदाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अंतर्गत मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में Shop & Commercial Establishment Act में पंजीयन या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है।
26. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म जो पहले सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा फर्म में नया/नये भागीदार, संविदा शर्तों/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बध्य होगा/होंगे।
27. बोलीदाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2018-19,2019-20,2020-21) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Assessed Turnover कम से कम 20.00 लाख (प्रपत्र.-1) होना चाहिए। इसके लिए बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथ आयकर विभाग में दाखिल की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा Audited Balance Sheet की प्रति अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी सर्टिफाईड Turnover Certificate की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। CA द्वारा जारी समस्त प्रमाण पत्र UDIN पद्धति से होने चाहिये।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

28. सेवाओं का समय राज्य सरकार के निर्धारित नोर्म्स के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् अवकाश के दिन भी सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
29. बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के पश्चात् 30 दिवस के अंदर टेका श्रम अधिनियम 1970-71 के नियम 25(1) के तहत लाईसेन्स फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक है।
30. संवेदक द्वारा सेवा के दौरान जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
31. बोलीदाता को राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवा निष्पादक की आपूर्ति कराने का पिछले तीन वर्षों में से किन्ही दो वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है और कम से कम 40 सेवा निष्पादक की आपूर्ति (कम से कम 20 सेवा निष्पादक की आपूर्ति करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य आदेश-एकल आदेश अनिवार्य है) करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य आदेश आवश्यक है।
32. श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, घटाने का अधिकार सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर का होगा।
33. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक/अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम), अवांछनीय व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
34. संवेदक द्वारा अपने खर्चे पर एक सुपरवाईजर नियुक्त किया जायेगा। जिसका नाम, मो.नम्बर, कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा। सुपरवाईजर श्रमिकों के समस्त विषयों में कार्यालय के लिए **Single Point of Contact** होगा। सेवा निष्पादक की उपस्थिति, सत्यापन, नियम, समय पर बिल प्रस्तुत करना इत्यादि कार्य सुपरवाईजर का होगा।
35. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मेनपावर) को उनको परिचय पत्र बनाकर देना अनिवार्य होगा, जो राज्य मंडल कार्यालय मुख्यालय में ड्यूटी के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पॉकेट/गले में पहचान हेतु अनिवार्य होगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति कार्य पर नहीं लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त जॉब सेवा निष्पादक को वोटर आई.डी. अथवा आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक आई.डी. रखनी होगी। जो माँगने पर दिखानी होगी।
36. राज्य सरकार की सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरों के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालना संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी अनुसार भुगतान करने का दायित्व संवेदक का ही रहेगा।
37. सेवा निष्पादक से किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी, हानि आदि होने पर संवेदक से वसूली की जायेगी।
38. सेवा निष्पादक को सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशनुसार कार्य करना होगा।
39. बोलीदाता को सक्षम पुलिस अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो छः माह से अधिक पुराना न हो (संलग्न करें)।
40. संवेदक को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के तहत स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुसार स्वीकृत दर से इस कार्यालय के आदेशानुसार मानदेय पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा। उक्त मानदेय में समस्त कर व कटौतियां यथा GST,EPF,ESI इत्यादि सम्मिलित होगी।
41. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14/11/2018 के पालना में—
 - बोलीदाता (Bidder) के द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध,1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

- सफल बोलीदाता को यह शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बोली अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक, अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो तदानुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 42. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
- 43. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक को प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा/कार्य दिवस एवं कार्य (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तन करने पर तदानुसार मान्य होगा)।
- 44. वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता दसवीं पास व लगभग 5 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव एवं हल्का/भारी वाहन चलाने का लाइसेंस जरूरी है।
- 45. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है। हिन्दी-अंग्रेजी का ज्ञान कार्यालय सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यक है।
- 46. अनुबंध के अधिकतम 7 दिवस में श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर अनुपलब्ध कार्मिक 200/- रुपये प्रति कार्मिक प्रति दिवस पेनल्टी लगेगी।
- 47. मैन विद् मशीन के निरन्तर 3 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार पेनल्टी रुपये 200/- काटी जायेगी।
- 48. 04 दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/- रुपये प्रति दिवस की दर से अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
- 49. आवश्यकता/उपयुक्त समझे जाने पर समानान्तर दर अनुबन्ध किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	बोली आमंत्रित करने वाला विभाग	प्रभारी अधिकारी (संस्थापना शाखा), राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर														
2.	बोली आमन्त्रण का संदर्भ	सूचना संख्या- संस्थापना/01/2022-23														
3.	बोली के अधीन कार्य का विवरण	मैन पावर {60 मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर), 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 15 वाहन चालक } उपलब्ध करवाने हेतु पूर्णत ठेका पद्धति पर दर संविदा														
4.	उपापन संस्था	प्रभारी अधिकारी (संस्थापना शाखा), राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर														
5.	बोली अपलोड करने की प्रारंभ तिथि व समय	15/03/2022 (12:00 बजे)														
6.	प्री-बिड बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	11/03/2022 (05:00 बजे)														
7.	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक, समय व स्थान	25/03/2022 को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।														
8.	बोलीदाता फर्म का विवरण	<table border="1"><tr><td>नाम</td><td></td></tr><tr><td>पता कार्यालय</td><td></td></tr><tr><td>टेलीफोन नं.</td><td></td></tr><tr><td>मोबाईल नं.</td><td></td></tr><tr><td>प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम</td><td></td></tr><tr><td>ई-मेल</td><td></td></tr><tr><td>वेबसाइट</td><td></td></tr></table>	नाम		पता कार्यालय		टेलीफोन नं.		मोबाईल नं.		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम		ई-मेल		वेबसाइट	
नाम																
पता कार्यालय																
टेलीफोन नं.																
मोबाईल नं.																
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम																
ई-मेल																
वेबसाइट																
9.	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है? यदि हां तो.....	<table border="1"><tr><td>पंजीयन क्रमांक व दिनांक</td><td></td></tr><tr><td>पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी</td><td></td></tr><tr><td>विधि, जिसके तहत पंजीकृत हैं</td><td></td></tr><tr><td>पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक</td><td></td></tr><tr><td>राज्य जिसमें पंजीकृत है।</td><td></td></tr></table>	पंजीयन क्रमांक व दिनांक		पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी		विधि, जिसके तहत पंजीकृत हैं		पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक		राज्य जिसमें पंजीकृत है।					
पंजीयन क्रमांक व दिनांक																
पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी																
विधि, जिसके तहत पंजीकृत हैं																
पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक																
राज्य जिसमें पंजीकृत है।																
10.	गत तीन वर्षों 2018-19, 2019-20, तथा 2020-21 में राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशाषी संस्थाओं/अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में उपलब्ध करवाये गये संविदा कार्मिकों के संबंध में कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें। (कम से कम 20 श्रमिक की आपूर्ति करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य आदेश-एकल आदेश अनिवार्य है)	कार्यादेश/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।														
11.	फर्म के वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के अंकेक्षित अंतिम खाते। Assessed Turnover कम से कम 20 लाख रू. (प्रपत्र 1)।	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														
12.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														
13.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														
14.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														
15.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

16.	आयकर (पेन) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
17.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें
18.	शपथ पत्र 100 रु. नोन ज्यूडिसीयल स्टाम्प तैयार Annexure B के अनुसार	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	विवरण	रजि सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोलीदाता द्वारा तकनीकी रूप से पात्र होने की घोषणा

- यह कि मैं/हम (नाम)..... प्रभारी अधिकारी (संस्थापना शाखा), राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर द्वारा प्रकाशित बोली सूचना संख्या दिनांक के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:-
 - बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/- रुपये जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या
 - बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/- जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या
 - बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या
 - बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण पृष्ठ संख्या
 - पिछले 3 वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में सेवाएँ उपलब्धता का कार्य का अनुभव पृष्ठ संख्या
 - श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि पृष्ठ संख्या
 - पैन (PAN) पृष्ठ संख्या
 - जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण पृष्ठ संख्या
 - ESI पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या
 - EPF पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या
 - अनुभव प्रमाण पत्र (2018-19, 2019-20, 2020-21) पृष्ठ संख्या
 - सनदी लेखाकार का टर्नओवर प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या
 - फर्म के वित्तीय वर्ष (2018-19, 2019-20, 2020-21) के अंकेक्षित अंतिम खाते पृष्ठ संख्या
 - बैंक खाता पासबुक, निरस्त चैक की छाया प्रति (फर्म की बैंक डिटेल हेतु) पृष्ठ संख्या
- यह कि इस बोली के संबंध में समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।
- यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जायेगा।
- वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार पंजीकरण के समस्त विवरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
- यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।
नोट:- तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु मूल्यांकन की अनिवार्य शर्त है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित)	
मोबाईल फोन नम्बर	
ई-मेल	



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

E-PORC पर वित्तीय बोली अपलोड करने हेतु प्रपत्र

(For Reference only)

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए बोली में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमति की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (मासिक) रू. प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर रू.	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रू. प्रति श्रमिक जो पूर्ण रूपये में दिया जावेगा।	कुल राशि रू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मशीन विद् मैन पॉवर (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर) सेवा शुल्क में Computer, Printer, UPS का किराया सम्मिलित होगा। (High Skilled)	60			@12%	@3.25%		
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी -अकुशल	45						
3.	वहन चालक-कुशल	15						

1. वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र E-PROC पोर्टल पर निर्धारित BOQ Excel File द्वारा अपलोड करनी है किसी भी स्थिति में दरें तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण श्रेणीवार कॉलम संख्या 9 में न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा।
3. कॉलम संख्या 4 में भरी जाने वाली दर वर्तमान में श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम श्रम दर से कम नहीं होनी चाहिए।

हस्ताक्षर
बोलीदाता मय दिनांक व पता



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण जाँच/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें:-

1. Computer System- Including the following items with specifications.
 - A. Computer-Intel Core i5/Equivalent AMD based Computer or higher speed. RAM 4 GB or higher, Hard disk 500 GB or more, 17" Monitor/TFT of higher, 10/100/1000 Mbps, LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports Window 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.
 - B. Printer-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For specification needs (HP Canon & Higher)
 - C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
2. Trained Personnel
 - A. The Personnel should be Graduate (RSCIT minimum); should have knowledge to operate computer in Window/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheet and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English & Also & Kruti Dev Hindi (Mangal Font) Typing Work.
3. जाँच कार्य-कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जाँच/कार्य का विवरण इस प्रकार है-
 1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करना एवं आवश्यकता अनुसार राजपत्रित अवकाश में भी कार्यालय बुलाया जा सकेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमक देय नहीं है।
 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
 3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
 4. एम.एस.वर्ड., एम.एस.एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
 5. ई-मेल करना/प्राप्त करना।
 6. विभिन्न पोर्टल/मोड्यूलस से सूचनाओं का अपलोड एवं अद्यतन करना।
 7. ई-गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
 8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य कार्य आवंटित कार्य करना।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्ति हेतु योग्यता का विवरण

श्रेणी	जॉब श्रमिकों/कार्य का संक्षिप्त विवरण	उक्त कार्य करने बाबत निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
	1. उच्च कुशल: अनुसूची भाग 1 एवं 2 में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण के अनुसार।	संवेदक उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार उपलब्ध करवायेगा। 1. संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। 2. कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाएगा एवं मांगने पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवाएगा। 3. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता सम्बंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

विशेष विवरण:—उच्च कुशल कार्य से आशय है ऐसा कोई भी कार्य जिसमें संघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्य के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।

नोट:— उपरोक्त सभी जॉब श्रमिक 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे एवं दिखने में शारीरिक रूप से हष्ट—पुष्ट एवं चुस्त—दुरुस्त होना चाहिए।

हस्ताक्षर
बोलीदाता मय दिनांक व पता



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure A : Compliance with the Code of Intergrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a Procurement process shall -

(A). not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(B). not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(C). not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to unpair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(D). not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(E). not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(F). not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(G). disclose conflict of interest, if any; and

(H). disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests, that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired for is proposed to be hired by the procuring Entity as engineer-in-charge consutant for the contract.



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is MS, RSPCB, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is CP, RSPCB, Jaipur

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) IF the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) Form of Appeal



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

- a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies these of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Form No.1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012

Appeal No..... of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1) Particulars of appellant:

I. Name of the appellant:

II. Official address, if any:

III. Residential address:

2) Name and address of the respondent (s):

I.

II.

III.

3) Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4) If the Appellant proposes to be represented By a representative, the name and postal address of the representative:

5) Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6) Grounds of appeal:

.....
.....

(Supported by an affidavit)

7) Prayer:

.....
.....

.....

Place

Date

Appellant's Signature



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

- I. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- II. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

- III. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)
As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

प्रपत्र- 1

वित्तीय टर्न ऑवर

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ऑवर (राशि रूपये में)
1.	2018-19	
2.	2019-20	
3.	2020-21	

सी.ए. द्वारा जारी सर्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

प्रपत्र-2

अनुभव कार्य का विवरण (तीन वर्ष से पुराना नहीं)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	कार्य की अवधि	उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों की संख्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोली स्पष्टीकरण प्रपत्र

बोलीदाता का विवरण

1. बोलीदाता का नाम
2. बोलीदाता का पता
.....
.....
3. बोलीदाता का फोन नं./मोबाईल नं. :-
4. वाट्सअप नम्बर :-
5. ई-मेल आई.डी. :-

प्रश्न का विवरण

नोट: प्रश्न के साथ बोली प्रपत्र शुल्क डीडी की रसीद की फोटो प्रति अवश्य संलग्न करें।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)